CMAI

परिपत्रकः ४८- ए/एस-३/ २०२१ १२ नवंबर २०२१

संघ के सभी सदस्यों के लिएः

श्रीमान,

इस कठिन समय में बकाया की वसूली करना सभी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। छोटे वाणिज्यिक विवादों के लिए भारतीय न्यायालयों में मुकदमा दर्ज कराना बहुत समय लेनेवाला और महंगा होता है और कई लोग न्यायालय में मामले दर्ज करने से दूर रहते हैं।

आर्बिट्रेशन एक ऐसा विकल्प है जो पक्षकारों के बीच विवाद सुलझाने का एक अन्य माध्यम है (एडीआर) तथा यह कम खर्चीला, शीघ्र, सुरक्षित है तथा पक्षकारों को अधिक गोपनायता पदान करता है।

ऐपरल तथा अन्य उद्योगों में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के लिए एक संस्थागत दृष्टिकोण पदान करने हेतू सीएमएआई ने नियमों के दो सेट तैयार किए हैं - 'सीएमएआई के मध्यस्थता और समझौता नियम' तथा 'सीएमएआई के आर्बिट्रेशन नियम'। नियमों का पत्येक सेट विवाद समाधान पक्रिया में पारदर्शिता, कार्यक्षमता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतू एक संरचित, संस्थात्मक रचना प्रदान करता है ।

हमें आपको यह बताते हुए खुशी होती है कि एसोसिएशन ने हमारे सदस्यों को आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये, तथा नियम तथा लाभों को स्पष्ट करने हेतू, एक 'आर्बिट्रेशन परिसंवाद'करा आयोजन करने का निर्णय लिया है। परिसंवाद का विवरण इस पकार हैः

दिनांक	समय	स्थान
मंगलवार, २३ नवंबर २०२१	दोपहर ३.०० बजे से शाम ६.३० बजे तक।	योगी सभागृह, दादर स्टेशन के सामने, दादर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१४

कृपया ध्यान दें कि सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होने के कारण कार्यशाला के लिए पंजीकरण प्रथम आगमन को प्रथम सेवा इस पद्धतीसे होगा।

यहां पंजीकरण करें - https://forms.gle/SkAZqPDAXNEp4nHq5

इस्का लाइव प्रसार यूट्यूब पर किया जाएगा। यूट्यूब लिंक अगले कुछ दिनों में शेयर किया जाएगा।

किसी भी अन्य पश्न के लिए, आप श्री. संजय भालेकर (मो-९८१९६९२५८०) या श्री पदीप मेहता (मो-७०४५६२६२७५) से संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

पी. चंद्रशेखरन
सेक्रेटरी
द क्लोदिंग मैन्युफैक्चरिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया
९०१, नमन मिडटाऊन, ए-विंग,
कामगार कला केंद्र के पीछे,
सेनापती बापट मार्ग, प्रभादेवी (पश्चिम),
मुंबई-४०० ०१३
टेलिफोनः +९१ २२ २४३९ ०९०९
वेबः www.cmai.in